गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक – 104 /4/ई0ई0/जोन–1/2018 दिनाँक – 16/01/2018

सेवा में,

मैसर्स चार्म्स इण्डिया प्रा0 लि0
चार्म्स कास्टल, खसरा नं0–1056,
नूरनगर एन0एच0–58, मेन 6 लेन हाई–वे,
राजनगर एक्सटेन्शन, गाजियाबाद।

विषयः– राजनगर एक्सटेन्शन क्षेत्र में सीवर कनैक्शन चार्जेज जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया राजनगर एक्सटेन्शन क्षेत्र में सीवर लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा सीवर को सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से जोड दिया गया है। आपके द्वारा निर्मित किये गये ग्रुप हाउसिंग/व्यवसायिक अपार्टमेन्ट के सम्मुख प्राधिकरण द्वारा डाली गई सीवर लाईन में सीवर कनैक्शन हेतु सीवर कनैक्शन चार्ज प्रति कनैक्शन रू0 50,000/- प्राधिकरण कोष में जमा कराने का कष्ट करे एवं जमा की गई धनराशि की रसीद अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। आप द्वारा निर्मित अपार्टमेन्ट से प्राधिकरण द्वारा डाली गई सीवर लाईन में कनैक्शन हेतु सीवर लाईन/कनैक्शन आदि आप द्वारा स्वंय के व्यय पर किया जायेगा।

18/01

(आर0 पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
अभियन्त्रण जोन–1

कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांकः 67 / जे0डी0 / फा0स0 / लखनऊ–18(गाजि0) / 117 | 748. दिनांकः लखनऊ, जुलाई 28 2018,

प्रारूप–घ

औपबन्धिक (provisional) अनापत्ति प्रमाण पत्र

यूआईडी संख्याः–2018 / 43591 / जीजैडबी / गाजियाबाद / 3012 / डी0डी0
दिनांकः–07–07–2018

प्रमाणित किया जाता है कि (भवन / प्रतिष्ठान का नाम) **मैसर्स चार्म्स इण्डिया प्रा0लि0,** पता **खसरा नं0–1102एम0, ग्राम नूरनगर जनपद गाजियाबाद उ0प्र0,** जिसमे **प्रस्तावित तलो** की संख्याः**–भूतल+06 तल,** एवं **बेसमेन्ट** की संख्याः–03 है, जिसकी **ऊँचाईः–28.40 मीटर,** तथा **प्लाट एरियाः–5376.00 वर्ग मी0** है। भवन का अधिभोग (भवन स्वामी / अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) **मैसर्स चार्म्स इण्डिया प्रा0लि0,** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के समस्त प्राविधानों का समायोजन एन0बी0सी0 एवं ततसम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 मानको की संस्तुतियो के अनुरूप किया गया है। इस भवन को **प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र** (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **एसेम्बली (मल्टीप्लैक्स) भवन श्रेणी डी0–06,** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन मे सभी मानको का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात तथा भवन के अधिभोग से पूर्व **अग्नि एवं जीव रक्षा प्रमाण पत्र (fire & Life safety certificate)** प्राप्त किया जायेगा।

संलग्नकः मानचित्र।

27/7

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को शासनादेश संख्याः 1765 / छः–पु0–08–2017–905(34) / 2016 गृह (पुलिस) अनुभाग–8 दिनांकः 16–02–2018 के कम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1–जिलाधिकारी गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ।
2–सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद।
3–निदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
4–उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ / सहारनपुर परिक्षेत्र।
5–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ एवं अभिलेखीयकरण हेतु।
6–अग्निशमन अधिकारी कोतवाली, जनपद गाजियाबाद को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ एवं अभिलेखीयकरण हेतु।
7–मैसर्स चार्म्स इण्डिया प्रा0लि0, पता खसरा नं0–1102एम0, ग्राम नूरनगर, जनपद गाजियाबाद उ0प्र0, को उक्त के सन्दर्भ में अनुपालनार्थ।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद

(वाणिज्य कर–पूर्ववत् मनोरंजन कर अनुभाग)।

(E-Mail- etogz-up@nic.in)

संख्या–556/म0क0/2018–2019 दिनांक 08 मार्च, 2019 ~~फरवरी, 2019.~~

श्री अजय सिंघल पुत्र श्री योगी राम सिंघल,
निवासी एस0ई0–111, शास्त्री नगर, गाजियाबाद,
निदेशक मैसर्स चार्म्स इण्डिया प्रा0 लि0, 91 मीना अपार्टमेन्टस्, पटपड़गंज,
नई दिल्ली।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 14.02.2019 तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के मानचित्र अनुमोदन/स्वीकृति पत्रॉक–186/मानचित्र सं0–613/जी0एम0पी0/मल्टी0/जोन–1/16–17 दिनांक 31.01.2019 के परिप्रेक्ष्य में आपको उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली 1951 के नियम–3 (3) के अन्तर्गत आपके भूखण्ड खसरा संख्या–1102 एम, खाता संख्या–18 ग्राम–नूर नगर (राजनगर एक्सटेंशन), परगना लोनी, तहसील सदर जनपद गाजियाबाद पर प्रस्तावित व्यावसायिक काम्पलेक्स के पाँचवें व छठे तल पर क्रमशः 172, 109, 219, 196, 109 व 172 सीटें कुल 977 आसन क्षमता के छः स्क्रीन मल्टीप्लेक्स सिनेमा निर्माण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

1. मल्टीप्लेक्स (छः स्क्रीन) छविगृहों का निर्माण योग्य वास्तुविद (Competent Architect) की देख–रेख में कराया जायेगा, जो सिनेमा भवन की संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्प निरोधी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह निर्माण कार्य पूरा होने पर सिनेमा भवन के स्थायित्व एवं सुरक्षा तथा जन उपयोगी होने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा।
2. मल्टीप्लेक्स छविगृह के निर्माण में प्रत्येक छविगृह में सामुहिक व्यवस्थाओं के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली 1951 के अन्तर्गत प्राविधानित समस्त अद्यतन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
3. मल्टीप्लेक्स के अन्तर्गत प्रत्येक सिनेमा हॉल के निर्माण में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैन्डर्डस द्वारा प्रकाशित बायलाज फॉर कन्सट्रक्शन ऑफ सिनेमा बिल्डिंग्स 1987 (यथासंशोधित) में सिनेमा भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रचलित उपविधियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, ताकि प्रत्येक सिनेमा हॉल हेतु प्रस्तावित भवन में ट्रैफिक लोड, पार्किंग व्यवस्था, व्यक्तियों के आवागमन एवं निकास की व्यवस्था, अग्निशमन व्यवस्था, वाटर सप्लाई, बिजली व्यवस्था, ड्रेनेज तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्थायें समुचित रूप से सुनिश्चित की जा सकें। इन सभी व्यवस्थाओं हेतु ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैन्डडर्स की उपविधियों में दिये गये पृथक–पृथक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. मल्टीप्लेक्स छविगृह का निर्माण उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली 1951 के सम्बन्धित नियमों एवं मल्टीप्लेक्स के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों तथा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैन्डर्डस द्वारा प्रकाशित बायलाज फॉर कन्सट्रक्शन ऑफ सिनेमा बिल्डिंग्स 1987 पर आधारित गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मानचित्रों के अनुरूप किया जायेगा।
5. मल्टीप्लेक्स छविगृह के निर्माण की अनुमति/स्वीकृति इस शर्त के अधीन होगी कि इस सम्बन्ध में विशिष्ट उपविधियों के बनने के पश्चात् मल्टीप्लेक्स का निर्माण उसके अनुरूप होना आपका उत्तरदायित्व होगा।
6. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के अनुमोदन पत्र संख्या मानचित्र सं0 186/मानचित्र सं0–613/जी0एम0पी0/मल्टी0/जोन–1/16–17 दिनांक 31.01.2019 की समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. मल्टीप्लेक्स सिनेमा भवन के निर्माण कार्य की प्रगति नवीनतम छायाचित्रों सहित प्रत्येक दो माह में सूचित की जायेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गत सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के साथ लाइसेन्स हेतु आवेदन किया जायेगा।

(रितु माहेश्वरी)
जिला मजिस्ट्रेट,
गाजियाबाद।

जिला मजिस्ट्रेट
गाजियाबाद

F:\2018-2019\MULTIPLEX\PROPOSED\2018-2019\Ms Charms India Pvt. Ltd..doc